भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3722
(12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पात्र परिवारों की पहचान

3722. श्री आलोक शर्मा:
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:
श्रीमती हिमाद्री सिंहः
श्री अभिमन्यु सेठी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं और अब तक निर्मित कुल आवासों की राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 2011 की जनगणना सूची और आवास एवं आवास प्लस सर्वेक्षण के अनुसार चिह्नित पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों का ब्यौरा क्या है और उनके निर्माण की राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रगति क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) से (घ)**:** ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं वाले पक्के आवासों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना है। पीएमएवाई-जी के तहत, प्रारंभिक लक्ष्य वित्त वर्ष 2016-17 से 2023-24 के दौरान 2.95 करोड़ आवासों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना था। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 2 करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने हेतु योजना के कार्यान्वयन का अनुमोदन प्रदान किया है।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 आंकड़ों और अंतिम रूप से तैयार आवास+ 2018 सर्वेक्षण सूची के तहत आवास अभाव मानकों के आधार पर की जाती है। भारत सरकार ने आवास+ (2018) सूची (अद्यतन किए जाने के बाद) से पूर्णतः लाभ प्रदान करने और एसईसीसी 2011 पीडब्ल्यूएल में पात्र परिवारों

को शेष 2 करोड़ की कुल सीमा के भीतर सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को जारी रखने की भी अनुमोदन प्रदान किया है।

दिनांक 07.08.2025 तक संचयी आवासों, मंत्रालय द्वारा आवंटित लक्ष्यों तथा स्वीकृत एवं निर्मित आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

*****

अनुबंध

"पात्र परिवारों की पहचान" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 12.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3722 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 07.08.2025 तक मंत्रालय द्वारा आवंटित संचयी लक्ष्यों, पीएमएवाई-जी के अंतर्गत स्वीकृत और निर्मित आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

[इकाई संख्या में]

क्र सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मंत्रालय द्वारा आवंटित संचयी लक्ष्य	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वीकृत संचयी आवास	निर्मित आवासों की संचयी संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	35,937	35,591	35,591
2	असम	29,87,868	28,88,011	20,77,817
3	बिहार	50,12,752	49,02,754	38,43,375
4	छत्तीसगढ़	26,42,224	23,82,101	15,10,844
5	गोवा	257	254	242
6	गुजरात	9,02,354	8,29,340	6,03,372
7	हरियाणा	1,06,460	74,937	41,173
8	हिमाचल प्रदेश	1,21,502	97,535	37,364
9	जम्मू और कश्मीर	3,36,498	3,34,771	3,13,878
10	झारखंड	20,12,107	19,39,824	15,72,485
11	केरल	2,32,916	76,238	34,380
12	मध्य प्रदेश	57,74,572	49,40,230	38,81,246
13	महाराष्ट्र	43,70,829	41,03,400	14,02,311
14	मणिपुर	1,08,550	1,01,549	56,711
15	मेघालय	1,88,034	1,85,763	1,50,086
16	मिजोरम	29,967	29,959	25,323
17	नागालैंड	48,830	48,747	36,238
18	ओडिशा	28,49,889	28,10,721	24,26,175
19	पंजाब	1,03,674	76,689	41,740
20	राजस्थान	24,97,121	24,32,356	17,53,137
21	सिक्किम	1,399	1,397	1,393
22	तमिलनाडु	9,57,825	7,42,923	6,47,487
23	त्रिपुरा	3,76,913	3,76,272	3,71,295
24	उत्तर प्रदेश	36,85,704	36,56,195	36,38,625
25	उत्तराखंड	69,194	68,534	68,218
26	पश्चिम बंगाल	45,69,423	45,69,032	34,19,593
27	अंडमान और निकोबार	3,424	2,593	1,302

28	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	11,364	10,935	5,073
29	लक्षद्वीप	45	53	45
30	पुदुचेरी	0	0	0
31	आंध्र प्रदेश	2,47,114	246,930	88,995
32	कर्नाटक	9,44,140	5,20,862	1,58,520
33	तेलंगाना	0	0	0
34	लद्दाख	3,004	3,004	3,004
	कुल	**4,12,31,890**	**3,84,89,500**	**2,82,47,038**

नोट: पीएमएवाई-जी संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी में कार्यान्वित नहीं की जा रही है। तेलंगाना राज्य ने योजना की शुरुआत अर्थात दिनांक **01.04.2016** से पीएमएवाई-जी को लागू नहीं किया है।

*****